कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण (जैसलमेर–II)

(स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)
राष्ट्रीय राजमार्ग–11, गोमट, पोकरण, जैसलमेर, राजस्थान–345021

डॉ. बलबीर सिंह
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
http://jaisalmer2.kvk2.in

(+91) 2994–222316
(+91) 9667410348
kvkpokaran@gmail.com

क्रमांकः एफ 2(लेखा)/के.वी.के./पोक/लेखा/21/890–93 दिनांक–11–10–2021

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण पर आयोजित प्रशिक्षणों एवं बैठको इत्यादि में किसानों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिदिन दिन में दो बार विभिन्न श्रेणी अनुसार चाय, नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध करवाने हेतु मोहरबंद खुली निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं। विवरण निम्नानुसार हैं–

1.	निविदा फार्म की दर	रू. 500/– नगद अथवा डी.डी.
2.	निविदा संदर्भ	केन्द्र पर आयोजित प्रशिक्षणों एवं बैठको इत्यादि में किसानों एवं अधिकारियों को चाय, नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध करवाने हेतु।
3.	निविदा प्रपत्र – संलग्न	निविदा प्रपत्र–क और प्रपत्र–ख
4.	अनुमानित लागत	रू. 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार मात्र)
5.	कार्य की अनुमानित अवधि	अक्टूम्बर 2021 से मार्च 2022 तक
6.	निविदा प्राप्त करने का दिनांक व समय	दिनांक–11–10–2021 से 22–10–2021 तक कार्यालय कार्य दिवस मे प्रातः 10–00 बजे से सायं 05–00 बजे तक।
7.	निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि	दिनांक–22–10–2021 सुबह 10–30 बजे (निविदा फार्म मय धरोहर राशि)
8.	निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनांक–22–10–2021 दोपहर 12.00 बजे (नियुक्त कमेटी द्वारा)
9.	निविदा खोलने का स्थान	कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण (जैसलमेर–2)

निविदा निर्धारित प्रपत्र में बन्द लिफाफे में स्वीकार की जायेगी। निविदा फार्म शुल्क रू 500/– नगद अथवा डी.डी. "वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण के नाम पर देय होगे। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेवसाइट http://raubikaner.org एवं https://sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् वितनियंत्रक, स्वाकेराकृविवि, बीकानेर को भेजकर निवेदन हैं कि निर्धारित दिनांक 22–10–2021 को प्रातः 10–00 बजे तक अपना प्रतिनिधि भेजने की कृपा करावें।
2. श्रीमान् निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, स्वाकेराकृविवि, बीकानेर को भेजकर निवेदन हैं कि निर्धारित दिनांक 22–10–2021 को प्रातः 10–00 बजे तक अपना प्रतिनिधि भेजने की कृपा करावें।
3. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, सिमका, स्वाकेराकृविवि, बीकानेर को भेजकर निवेदन हैं कि इस निविदा सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर लोड करने की कृपा करावें।
4. नोटिस बोर्ड, कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण जैसलमेर।
5. ....

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख

कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण (जैसलमेर-II)

(स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)
राष्ट्रीय राजमार्ग–11, गोमट, पोकरण, जैसलमेर, राजस्थान–345021

निविदा फार्म (क)

1. निविदा दाता का नाम : ....
2. पूरा पता : ....
....
तहसीलः.. जिलाः...............................
राज्यः.. पिन कोडः...............................
3. मोबाइल/फोन नं. : +91–.. +91–..................................
4. फर्म का नाम : ....
5. फर्म का बैंक खाता विवरण (जिसके माध्यम से लेन देन करते है) : खाता धारक का नामः...
खाता संख्याः..
बैंक का नामः..
शाखाः... IFS कोडः...................................
6. धरोहर राशि का विवरण : ....

7. दरें नीचे दर्शाई गई तालिका में देनी है

सामग्री का नाम	दर (रू.) समस्त कर सहित	निविदादाता द्वारा देय सामग्री एवं मात्रा
चाय (एक समय)	10.0	
नास्ता (एक समय)	50.00	
भोजन (एक समय)	75.00	
भोजन मीनू–1 (एक समय)	100.0	
भोजन मीनू–2 (एक समय)	150.0	
भोजन मीनू–3 (एक समय)	250.00	

स्थानः..

दिनांकः.. (निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर)

—: निविदा की शर्ते :—

1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि (वितीय वर्ष 2021—22 की अनुमानित खर्च राशि रूपये 2.5 लाख का 2 प्रतिशत) रू. 5000/— व निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 500/— अग्रिम निविदा प्रपत्र के साथ जमा करानी होगी जो बैंकर्स/चैक या डी.डी. के माध्यम से ही जमा होगी, जो कार्य अवधि समाप्त होने पर तथा नो ड्यूज प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के वापस लौटा दी जावेगी।
2. निविदादाता को निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे:—
   1. रूपये 50/— के शपथ पत्र पर यह देना होगा कि निविदादाता/फर्म/ऐजेन्सी किसी भी रूप में काली सूचि मे शामिल (Black Listed) नही है। शपथ पत्र पर यह देना होगा कि निविदादाता/फर्म/ऐजेन्सी का वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स बकाया नही है।
   2. निविदादाता/फर्म/ऐजेन्सी का सबंधित विभाग से पंजीकरण दस्तावेज मय जी.एस.टी. नम्बर की प्रतिलिपि संलग्न करें।
   3. निविदादाता/फर्म/ऐजेन्सी का पेन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें।
   4. निविदादाता/फर्म को समस्त भुगतान ऑनलाईन किया जायेगा। अतः बैंक में खाता होना अनिवार्य हैं।
3. किसी प्रकार की काउण्टर कण्डीशन/शर्ते मान्य नहीं होगी।
4. धरोहर राशि के बिना निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। असफल निविदादाता की धरोहर राशि कार्यालय द्वारा 7 दिवस में चैक/नगद द्वारा वापस लौटा दी जावेगी ।
5. निविदा में दी गई दरों में काट छांट नहीं होनी चाहिए। काट छांट होने पर उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. कार्यालय/किसानघर के रसोई घर एवं डायनिंग/प्रशिक्षण हॉल की साफ—सफाई की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
7. चाय, नाश्ता व भोजन के लिए खाद्य पदार्थो की व्यवस्था निविदादाता को अपने स्तर पर करनी होगी।
8. कार्यालय/किसानघर के रसोई घर एवं डायनिंग हॉल मे उपलब्धता के अलावा कोई अन्य सामान देय नहीं होगा।
9. गैस, फ्रीज, बर्तन, क्रोकरी व अन्य आवश्यक सामान की व्यवस्था निविदादाता को अपने स्तर पर करनी होगी।
10. कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण द्वारा गठित कमेटी/प्रभारी अधिकारी, समय—समय पर निविदा संबंधी शर्तो एवं खाद्य पदार्थो की गुणवता की जांच कर सकेगें।
11. भोजन बनाने के दौरान स्वस्थ रसाईये ही स्वीकार्य होंगे। कार्यरत कार्मिकों के नैतिक चरित्र/व्यवहार संबंधी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
12. निविदादाता को अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र उपलब्ध करवाना होगा जो प्रभारी अधिकारी या किसान घर के अन्य कर्मचारी द्वारा मांगने पर दिखाना होगा।
13. निविदादाता के कर्मचारियों द्वारा किसान घर एवं केन्द्र की सम्पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा, नुकसान होने पर भरपाई निविदिदाता को करनी होगी।
14. किसान घर द्वारा प्रदत सामान की टूट—फूट की मरम्मत निविदादाता को स्वयं करवानी होगी।
15. सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
16. समय से पूर्व अनुबंध तोड़ने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा फर्म को काली सूची (Black List) में डाल दिया जायेगा।
17. निविदादाता द्वारा काम में ली गई सभी सामग्री की समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
18. समस्त खाद्य एवं पेय पदार्थों के बनाने में उतम क्वालिटी का सामान ही काम में लेना होगा तथा खाना शुद्ध एवं ताजा देना होगा।
19. कार्य करते समय किसी प्रकार के नुकसान एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।
20. प्रशिक्षण में शाम के भोजन में जितने प्रशिक्षणार्थी ठहरेंगे उसी संख्या में खाना देना होगा व ठहरने की संख्या का ही भुगतान किया जायेगा।
21. रात्री में ठहरने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सख्या की जानकारी निविदादाता को प्रशिक्षण दिवस को ही दोपहर 3.00 बजे दे दी जावेगी।
22. निविदादाता केवल मांगी गई सामग्री के लिए ही अपनी निविदा राशि भरकर देवें। अन्य सामग्री के लिए निविदा प्रस्तुत नहीं करें।
23. दोपहर व शाम के भोजन के लिए सब्जी व दाल अलग—अलग बनानी होगी।
24. चाय, नाश्ता व भोजन आदि में प्रयोग में लिए जाने वाले बर्तन व कप प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए।
25. भोजन आपूर्ति के लिए अधिकृत संस्था द्वारा देय लाईसेंस (As per Food Safety and Standards Act 2006) की प्रति संलग्न करनी होगी।
26. प्रशिक्षण 1, 2, 3, 4, 5—7 व 20—30 दिवसीय आयोजित किये जा सकते हैं।
27. प्रषिक्षण के दौरान उपलब्ध बजट के अनुसार ही आपको कार्य आदेश दिये जायेगें।
28. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, के.वि.के., पोकरण के पास सुरक्षित रहेगा।
29. सफल निविदादाता को नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प रूपये 50/— पर इकरारनामा/अनुबन्ध प्रेषित करना होगा एवं निविदा स्वीकृति से 5 दिवस में शेष 3 प्रतिशत राशि (रूपय 7500/—) बैंकर्स चैक/डीडी द्वारा **"Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Pokaran"** के नाम कार्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण में जमा करवाना होगा।
30. अनुबंध स्वीकृत होने पर 31 मार्च 2022 तक के लिए मान्य होगा।
31. किसी भी प्रकार के विवाद पर न्याय क्षेत्र पोकरण (जैसलमेर) न्यायालय होगा।

(वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख)

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमनें पूर्ण सावधानी पूर्वक उपरोक्त सभी शर्ते अच्छी तरह से पढ़ ली है तथा मुझे/हमें उपरोक्त सभी शर्ते स्वीकार्य है।

(निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर)